N.C.R.B (एन.सी.आर.बी)
I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म -I)

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद)
P.S. (थाना): मोदी नगर **Year (वर्ष):** 2023
FIR No.(प्र.सू.रि. सं.): 0521
Date &Time of FIR(प्र.सू.रि. की दिनांक/समय): 20/09/2023 15:10

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	भा दं सं 1860	429
2	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	3
3	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11(1)(a)
4	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	11 (1) (l)
5	पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960	38

3.(a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना) :**

1. **Day** (दिन): **Date From** (दिनांक से): **Date To** (दिनांक तक):

Time Period (समय अवधि): **Time From** (समय से): **Time To** (समय तक):

(b) Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):

Date (दिनांक): 20/09/2023 Time (समय): 14:51 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):

Entry No. (प्रविष्टि सं.): 049 Date & Time (दिनांक और समय): 20/09/2023 14:51 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा): पूर्व, 4 किमी Beat No. (बीट सं.):

(b) Address (पता): शाहजहापुर

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर है तो):

Name of P.S. (थाना का नाम): District(State) (ज़िला (राज्य)):

6.Complainant / Informant (शिकायतकर्ता/सूचनाकर्ता):

(a) Name (नाम): सुनयना बसु

(b) Father's/Husband's Name(पिता / पति का नाम):

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष): 1998

(d) Nationality (राष्ट्रीयता): भारत

(e) UID No. (यूआईडी सं॰):

(f) Passport No.(पासपोर्ट सं॰):

Date of Issue (जारी करने की तिथि):

Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License, PAN)

S.No.(क्र.सं.)	Id Type (पहचान पत्र का प्रकार)	Id Number (पहचान संख्या)
1		

(h) Address (पता):

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	PETA INDIA, 76, GF, DEFENCE EN,VIKAS MARG, NEW DELHI-110092,पश्चिमी,दिल्ली,भारत
2	स्थायी पता	A-47, VIKAS PURI, NOW DELHI , 110018,पश्चिमी, दिल्ली,भारत

(i) Occupation (व्यवसाय):

(j) Phone number (दूरभाष सं.):

Mobile (मोबाइल सं.): 91-9958835299

7.Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than (अज्ञात आरोपी एक से अधिक हों तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address (वर्तमान पता)
1	मोंटी		पिता का नाम : गोपाल	1. शाहजंहापुर,मोदी नगर,ग्रामीण (कमिश्नरेट गाजियाबाद),उत्तर प्रदेश,भारत

8.Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9.Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (संपत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति का प्रकार)	Description (विवरण)	Value (In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10.Total value of property (In Rs/-)-सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु

11.Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू॰डी॰प्रकरण सं., यदि कोई हो):

S.No. UIDB Number

12.First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):

नकल तहरीर हिन्दी टाइपशुदा 20 सितंबर 2023 सेवा में, प्रभारी निरीक्षक, मोदीनगर थाना, NH 58, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश 201204 विषय: शाहजहाँपुर में एक बिल्ली के साथ किए गए अत्याचार, उसके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने और हत्या के खिलाफ शिकायत और FIR दर्ज करने का अनुरोध आदरणीय प्रभारी निरीक्षक जी. मैं आपको यह पत्र पीपल फर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (PETA), इंडिया की ओर से, मोंटी (मो. नं. 9368452880) पुत्र गोपाल, निवासी ग्राम शाहजहाँपुर द्वारा एक बिल्ली को क्रूर यातना देने, उसके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने एवं दर्दनात्मक हत्या करने के संदर्भ में लिख रही हूँ। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कथित अपराधी के खिलाफ FIR दर्ज करके तत्कालिक कार्रवाई की जाए । 5 जून 2023 को, श्री हर्ष तोमर द्वारा संचालित पेज harshpigeontips द्वारा YouTube शर्ट्स पर एक बिल्ली को पीट-पीटकर मार डालने का एक भयानक वीडियो पोस्ट किया गया था। मोदीनगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने हर्ष तोमर का पता लगाया जिनके द्वारा स्पष्ट किया गया कि उन्होंने केवल इस वीडियो को दोबारा पोस्ट किया था और उन्हें यह शिवम, पुत्र श्री सुरेश, निवासी भोजपुर गांव नामक मित्र द्वारा भेजा गया था। श्री शिवम ने पुलिस को सूचित किया कि उन्हें यह वीडियो मोटी, पुत्र श्री गोपाल निवासी ग्राम शाहजहाँपुर से मिला है. जो इस मामले का मुख्य आरोपी है। शाहजहाँपुर पुलिस चौकी के चौकी प्रभारी ने आरोपी की पहचान करने और उसके स्थान की पुष्टि करने के लिए एक टीम भेजी। शाहजहाँपुर चौकी के पुलिस अधिकारियों ने कथित आरोपी के पड़ोसियों से भी बात की जिन्होंने पुष्टि की कि उसने कुछ

समय पहले एक बिल्ली को मार डाला था। मोटे लकड़ी के डंडा से बिल्ली को वेरहमी से पीटने का वीडियो कथित आरोपी द्वारा किए गए अपराध का सबूत है। वीडियो के अंत में बिल्ली को हांफते हुए देखा जा सकता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि बिल्ली को अपंग/क्षत-विक्षत किया गया था, और उसे लगी चोटें घातक थीं, जिससे संभवतः बिल्ली की मोत हो गई। इस बिल्ली को जमीन पर लेटे हुए हिलने-डुलने में असमर्थ और सांस लेने के लिए संघर्ष करते हुए भी देखा जा सकता है। यह वीडियो आरोपी की क्रूर यातना और विल्ली को अपंग करने का स्पष्ट सबूत है। इस बिल्ली की पिटाई स्पष्ट रूप से जानबूझकर की गई थी और जिसके कारण इसे अनावश्यक दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह वीडियो आपके अवलोकन के लिए शिकायत के साथ एक पेनड्राइव में संलग्न है (अनुलग्रक A) शाहजहाँपुर पुलिस चौकी टीम ने मोंटी के पड़ोसियों की गवाही के आधार पर यह सुनिश्चित कर लिया है कि मोटी पुत्र श्री गोपाल ही कथित अपराधी है। एक पंजीकृत पशुचिकित्सक, पशु शरीर रचना विज्ञान और पशु चिकित्सकीय विज्ञान के विशेषज्ञ की राय के अनुसार, बिल्ली की मृत्यु / विकृति / नुकसान का कारण कुंद बल आघात को माना जा सकता है जिससे सदमा, तंत्रिका संबंधी चोट और सिर पर गंभीर चोट के कारण हुई मृत्यु शामिल है। एक पंजीकृत पशुचिकित्सक की राय आपके अवलोकन के लिए शिकायत के साथ संत है। (अनुलग्रक B) जो यह भी इंगित करता है कि जिस तरह से दिल्ली को अपंग/विकृत किया गया था, उससे मृत्यु होने की सबसे अधिक संभावना है। किसी भी जानवर को अपंग करना/विकृत करना या हत्या करना एक घोर और गंभीर अपराध है और भारतीय दंड संहिता (IPC). 1860 की धारा 429 के अंतर्गत दंडनीय है। इस धारा के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारने जहर देने या उसके शारीरिक अंगों को नुकसान पहुंचाने के खिलाफ एक से पाँच साल तक की कैद या जुर्माने या दोनों का प्रावधान है इसके अलावा, PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1) उन कृत्यों को परिभाषित करती है जिन्हें जानवरों के प्रति क्रूर माना जाएगा और जो कानून के तहत दंडनीय हैं। इस अधिनियम की धारा 11(1) (A) किसी भी जानवर को इस तरह से पीटने लात मारने यातना देने या उसके साथ व्यवहार करने पर रोक लगाती है जिससे उसे अनावश्यक दर्द और पीड़ा का एहसास हो। अधिनियम की धारा 11(1)(1) किसी भी जानवर को अंग-भंग करने या किसी भी जानवर (सामुदायिक कुत्तों सहित) को मारने के कृत्य को संज्ञेय एवं दंडनीय अपराध बनाती है। इस प्रकार किसी भी जानवर को प्रताड़ित करना, मारना या अंग-भंग करना PCA अधिनियम के तहत अपराध है।हम आपका ध्यान भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SLP (C) संख्या 11686/2007 में भारतीय जीव जन्तु कल्याण बोर्ड बनाम ए. नागराजा शीर्षक से पारित 7 मई 2014 के फैसले की ओर भी लाना चाहते हैं, जिसमें कोर्ट ने माना है कि PCA अधिनियम, 1960 को लागू करना सरकार का कर्तव्य है और यदि अधिनियम के प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और घोषणाओं का उचित और प्रभावी ढंग से अनुपालन नहीं किया जाता है, तो सरकार को अनुशासनात्मक कार्रवाई करनी चाहिए और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध

कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अधिनियम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार उपर्युक्त घटना एक गंभीर अपराध है और IPC के साथ-साथ PCA अधिनियम, 1960 के अंतर्गत भी दंडनीय है। इसलिए, उपरोक्त उल्लिखित तथ्यों और परिस्थितियों के प्रकाश में हम आपसे IPC की धारा 429, पशु क्रूरता निवारण (पालतू जानवर की दुकान) नियम, 2018 के नियम 3 और PCA अधिनियम, 1960 की धारा 11(1)(A), 11(1)(L) और 38(3) के तहत तुरंत FIR दर्ज करने का अनुरोध करते हैं। साथ ही अन्य प्रासंगिक प्रावधानों के अनुरूप आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का अनुरोध करते हैं। यदि आपका कोई प्रश्न हो, तो आप मुझसे 9958832994 पर कल करके परSunayanapetaindia.org पर मेल करके संपर्क कर सकते हैं। आभार सहित हस्ता0 अपठित सुनयना बसु क्रूएल्टी रेस्पोंस कर्डिनेटर, PETA इंडिया एडवोकेट एंड एनिमल राइट एक्टिविस्ट OFFICE ADDRESS :-PETA INDIA, 76, GF, DEFENCE ENCLAVE, VIKAS MARG, NEW DELHI-110092 RESIDENTIAL ADDRESS-A-47, VIKAS PURI, NOW DELHI 110018 नोट- मैं है0का0 2375 नवीन प्रमाणित करता हुँ कि मुकदमे का खुलासा रो0आम मे मेरे द्वारा तथा सीसीटीएनएस पर पंजीकरण म0का0 118 रीना द्वारा कराया गया है ।

13. Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. **2** में उल्लेख धारा के तहत है |)

(1) Registered the case and took up the investigation: (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): **or** (या)

(2) Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम): PREETI SINGH **Rank** (पद): SI (Sub-Inspector)

No. (सं.): **to take up the Investigation** (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) **or** (या)

(3) Refused investigation due to (जांच के लिए):

or (के कारण इंकार किया या)

(4) Transferred to P.S. (थाना): District (ज़िला):
on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R. read over to the complainant / informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी |)

R.O.A.C.(आर. ओ .ए .सी.)

14 Signature/Thumb impression of the complainant / informant.(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

15 Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name INCHARGE POLICE
Rank I (Inspector)
No. 9454403421